कार्यालय जिला पंचायत, राजनांदगांव(छ.ग.)

निविदा सूचना

कमांक/8776/जि.पं./स्टोर/2011–12 राजनांदगांव, दि.28/01/2012

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत, राजनांदगांव के निम्न शासकीय वाहन निष्प्रयोजित घोषित किये जाने के फलस्वरूप विकय किया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये मुहरबंद लिफाफे में निविदा दिनांक 22/2/2012 को 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क.	वाहन कमांक	वाहन का प्रकार व पीओएल	मॉडल	अमानत राशि	निर्धारित अपसेट प्राईज	वाहन जहां रखा गया है ।
1	सी.जी. 02/9091	टाटा सफारी (डीजल)	2006	10000.00	1,95,000.00	जिला पंचायत, राजनांदगांव

नीलामी की शर्ते:–

1 विकय हेतु प्रस्तावित वाहन कार्यालयीन दिनों में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है । निविदा राशि अंकों व शब्दों में अंकित करना होगा । राशि अंकन में किसी प्रकार का काट–छांट व सुधार होने की दशा में निविदा मान्य नहीं होगा ।

2 निविदा सीलबंद लिफाफे में जिला पंचायत, राजनांदगांव को संबोधित कर भेजी जावेगी । लिफाफे के उपर वाहन कमांक लिखना अनिवार्य होगा। निविदाकार को निविदा के साथ धरोहर राशि रू.10,000.00 (रू.दस हजार मात्र) नगद एकाउन्ट शाखा जिला पंचायत, राजनांदगांव को जमा कराई जा सकेगी । निविदा स्वीकार/स्वीकृति नहीं होने की दशा में अमानत राशि वापस योग्य होगी ।

3 निविदा दिनांक 22/02/2012 को अपरान्ह 3.00 बजे तक ही स्वीकार किया जावेगा तथा दिनांक 22/02/2012 को शाम 4.00 बजे विकय समिति एवं निविदाकर्ताओं की उपथिति में खोली जावेगी।

4 जिस निविदाकर्ता द्वारा वाहन की कीमत सबसे अधिक आंकी जावेगी उसे वाहन उठाने के पूर्व पूरी राशि नगद जमा करनी होगी ।

5 निविदा स्वीकार होने की स्थिति से 03 दिनों के भीतर निविदाकर्ता को वाहन उठाना अनिवार्य होगा, अन्यथा पूर्व में जमा की गई अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी ।

6 वाहन की कीमत प्राप्त नहीं होने पर उक्त नीलामी को निरस्त करते हुए पुनः निविदा बुलाई जावेगी।

7 निविदा में दी गई शर्तो का पालन करने के लिए सभी निविदाकर्ता बाध्य होगें तथा इस संबंध में अंतिम निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव का मान्य होगा । कोई भी विवाद न्यायालीन परिधि में नहीं लाया जा सकेगा ।

8 निविदा स्वीकृति पश्चात केता को परिवहन विभाग से वाहन का नया पंजीयन कमांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में शासकीय वाहन कमांक का प्रयोग केता द्वारा नहीं किया जावेगा ।

9 निविदा में दी गई शर्तो का उल्लंघन पाये जाने पर जमा की गई अमानत राशि राजसात की जा सकेगी । अन्य परिस्थितियों में अमानत राशि निविदा की कार्यवाही पूरी होने के बाद ही वापस की जा सकेगी ।

28/1/2012

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, राजनांदगांव